प्रश्न सं. [क्र. 57]

परिशिष्ट - अ

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 44-30/20-2/2017

भोपाल, दिनांक 13/2/2018

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण
म0प्र0 भोपाल ।

विषय:-प्रदेश में नये स्कूल खोलने /उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बावत ।

-0-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006 दिनाँक 25.08.2006 को अधिकमित करते हुये मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनाँक 03 जनवरी 2018 के अनुक्रम मे ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु मापदण्ड संलग्न अनुसार निर्धारित किये जाते है।

संलग्न-परिशिष्ट एक

(हस्ताक्षर) 13/2/18
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 44-30/20-2/2018
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13-2-2018

1- निज सचिव मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
3- अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
4- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।

(हस्ताक्षर) 13/2/18
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(संजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट–1

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओ की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं मे नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि / सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं मे छात्रो की दर्ज संख्या 100 से कम न होना।
3. उन्नत की जाने वाली शाला मे कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि / सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

टीप/-- किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग को होगा ।

13/8/18

उप सचिव,
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(संजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग